



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-18112020-223128
CG-GJ-E-18112020-223128

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 493]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 13, 2020/कार्तिक 22, 1942

No. 493]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 13, 2020/KARTIKA 22, 1942

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गाँधीनगर, 12 नवम्बर, 2020

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण [वैश्विक आंतरिक(इन-हाउस) केन्द्र] विनियम 2020

आई.एफ.एस.सी.ए./2020-21/जी.एन.रेग्यु.003 .—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 12 की उपधारा (1) और धारा 13 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 28 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वैश्विक आंतरिक केन्द्रों की मान्यता और प्रचालन के लिए एक ढांचे का उपबंध करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों के संबंध में निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण [वैश्विक आंतरिक (इन-हाउस) केन्द्र] विनियम, 2020 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इसमें परिभाषित पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके नीचे दिए गए हैं और उनकी सजातीय अभिव्यक्तियों का अर्थान्वयन तदनुसार किया जाएगा :-

- (क) “अधिनियम” से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) अभिप्रेत है;
- (ख) “प्राधिकरण” से अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (ग) “वित्तीय सेवा समूह” से ऐसी कोई इकाई अभिप्रेत है, जिसका विनियमन किसी वित्तीय सेवा विनियामक या वित्तीय सेवा क्रियाकलापों को अपनी घरेलू अधिकारिता में विनियमित करने वाले किसी अन्य सक्षम निकाय द्वारा किया जाता है और इसके अंतर्गत उसकी नियंत्रि, सहायक या सहयुक्त कंपनियां, किसी ऐसी नियंत्रि कंपनी की जिसकी वह सहायक कंपनी भी है, शाखा या सहायक कंपनी भी है।

परन्तु इस बारे में किसी संदेह की दशा में कि समूह वित्तीय सेवा समूह गठित करता है अथवा नहीं या उस समूह के अंतर्गत कोई इकाई इस रूप में अर्हित है अथवा नहीं, प्राधिकरण को अवधारण के लिए आवेदन किया जा सकेगा, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

- (घ) “विदेशी मुद्रा” का वही अर्थ होगा जो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (ड) में उसका है।
- (ङ) “वैश्विक आंतरिक (इन-हाउस) केन्द्र” से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में, उसके वित्तीय सेवा समूह के भीतर आने वाली इकाइयों को, जिसके अंतर्गत बैंक और गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियां, वित्तीय मध्यवर्तियां, विनिधान बैंक, बीमा कंपनियां, पुनर्बीमा कंपनियां, बीमांकक, दलाली फर्म, निधियां, स्टॉक एक्सचेंज, समाशोधन गृह, निक्षेपागार और अभिरक्षक भी हैं किन्तु उन तक सीमित नहीं हैं, किसी वित्तीय उत्पाद की बाबत कोई वित्तीय सेवा चलाने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः सहायक सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित कोई इकाई अभिप्रेत है;
- (च) “आई.एन.आर.” से भारतीय मुद्रा अभिप्रेत है जिसे भारतीय रुपए कहा जाता है।
- (छ) “अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र” का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अधीन उसका है।
- (ज) “विनियम” से ये विनियम अभिप्रेत हैं; और
- (झ) “यू.एस.डी.” से संयुक्त राज्य अमेरिकी डालर अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में या अधिनियम की पहली अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों में या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों और विनियमों में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो, यथास्थिति, उन अधिनियमों, नियमों या विनियमों या किसी कानूनी उपांतरण या उसकी पुनर्अधिनियमित में उनके हैं।

अध्याय 2

वैश्विक आंतरिक केन्द्र का रजिस्ट्रीकरण

पात्रता मानदंड

3. (1) वैश्विक आंतरिक केन्द्र के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के इच्छुक आवेदक के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड को पूरा करना आवश्यक होगा:

- (i) वह आत्यांतिक रूप से अपने उस वित्तीय सेवा समूह की आवश्यकताओं का ध्यान रखेगा, जिसमें वे इकाईयां जिन्हें सेवा प्रदान की जाती है, वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की अनुवर्ती अधिकारिता में अवश्य अवस्थित होनी चाहिए; और
- (ii) उसके वित्तीय सेवा समूह को प्रदान की जाने वाली सहायता सेवाएं किसी वित्तीय उत्पाद की बाबत कोई वित्तीय सेवा चलाने के प्रयोजनार्थ होनी चाहिए;

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

4. (1) ऐसी कोई पात्र इकाई, जो स्वयं को वैश्विक आंतरिक केन्द्र के रूप में रजिस्टर कराने की इच्छुक है, उस प्ररूप और रीति में, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, आवेदन प्रस्तुत कर सकेगी।

(2) उपविनियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन में ऐसी विशिष्टियां होंगी और उसके साथ ऐसे दस्तावेज़ संलग्न किए जाएंगे, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(3) वैश्विक आंतरिक केन्द्र के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए उपविनियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ ऐसी फीस लगाई जाएगी, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

रजिस्ट्रीकरण प्रदान करना

5. (1) यदि प्राधिकरण का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो इस निमित्त आवश्यक हो, और ऐसा अतिरिक्त जानकारी अभिप्राप्त करने के पश्चात्, जो वह अपेक्षा करे, यह समाधान हो जाता है कि पात्रता मानदंड पूरे हो गए हैं तो वह वैश्विक आंतरिक केन्द्र को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विनिर्दिष्ट की जाएं, रजिस्ट्रीकरण प्रदान कर सकेगा।

(2) प्राधिकरण, आवेदक को सुनवाई का सम्यक् अवसर दिए बिना किसी आवेदन को खारिज नहीं करेगा और ऐसी खारिजी के लिए कारण आवेदक को लिखित में संसूचित किए जाएंगे।

अध्याय 3

वैश्विक आंतरिक केन्द्र का कार्य संचालन

अनुज्ञेय सेवाएं और क्रियाकलाप

6. (1) विनियम 3 के अधीन अपेक्षाएं पूरी करने वाला वैश्विक आंतरिक केन्द्र केवल अनिवासी इकाईयों को सेवाएं प्रदान करेगा।

(2) भारत में देशीय क्षेत्र में किसी विद्यमान इकाई से कर्मचारियों का स्थान-परिवर्तन केवल पर्यवेक्षी कार्मिकों की बाबत ही अनुज्ञेय होगा जिसकी अनुज्ञा ऐसे प्रवर्ग में पदों की संख्या के अधिकतम वीस प्रतिशत तक प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से दी जा सकेगी।

कारबार के संचालन के लिए मुद्रा और पद्धति

7. (1) वैश्विक आंतरिक केन्द्र केवल निर्बाध रूप से संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में ही व्यवहार करेगा :

परन्तु वह ऐसा आई.एन.आर. खाता रखते हुए, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, अपने प्रशासनिक खर्चों की अदायगी आई.एन.आर.(भारतीय रुपयों) में कर सकेगा।

(2) वैश्विक आंतरिक केन्द्र अपने कारबार का संचालन प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञात किसी भी पद्धति में, जिसके अंतर्गत शाखा पद्धति भी है, कर सकेगा।

अध्याय 4

प्रचालन संबंधी अपेक्षाएं

रिपोर्ट करने संबंधी अपेक्षाएं

8. (1) किसी वैश्विक आंतरिक केन्द्र से यह अपेक्षित होगा कि वह अपने प्रचालन से संबंधित जानकारी प्राधिकरण को ऐसी रीति और प्ररूप में और ऐसे अंतराल पर प्रस्तुत करे, जैसा प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) वैश्विक आंतरिक केन्द्र प्राधिकरण सभी रिपोर्टें, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो, यू.एस.डी. (अमेरिकी डालर) में प्रस्तुत करेगा।

लेखा बहियां, अभिलेख और दस्तावेज़ रखना

9. वैश्विक आंतरिक केन्द्र अपनी लेखा-बहियां, अभिलेख और दस्तावेज़ ऐसी विदेशी मुद्रा में रखेगा, जैसी कि इन विनियमों के अधीन आवेदन करते समय घोषणा की जाए।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

प्रक्रियाएं विनिर्दिष्ट करने और स्पष्टीकरण जारी करने की शक्ति

10. प्राधिकरण, इन विनियमों और उनसे आनुषंगिक विषयों के कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ या किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में वैश्विक आंतरिक केन्द्र से संबंधित वित्तीय सेवाओं को सुकर और विनियमित करने की दृष्टि से, दिशानिर्देशों या परिपत्रों द्वारा मानक, पद्धतियां, प्रक्रियाएं, रीतियां विनिर्दिष्ट कर सकेगा या शिथिलताओं का उपबंध कर सकेगा।

व्यतिक्रम की दशा में कार्रवाई

11. (1) यदि कोई वैश्विक आंतरिक केन्द्र उन शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है, जिनके अध्याधीन विनियम 5 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, तो प्राधिकरण वैश्विक आंतरिक केन्द्र को अपने निवेदन करने के लिए तीस दिन का अवसर प्रदान करने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण को प्रत्याहृत कर सकेगा।

(2) उपर्युक्त बातों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण ऐसी कोई अन्य कार्रवाई कर सकेगा, जो वह अधिनियम के अधीन उचित समझे।

इंजेती श्रीनिवास, अध्यक्ष

[विज्ञापन.-III/4/असा./353/2020-21]

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

NOTIFICATION

Gandhinagar, the 12th November, 2020

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY (GLOBAL IN-HOUSE CENTRES) REGULATIONS, 2020.

IFSCA/2020-21/GN/REG 003.—*In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 read with sub-section (1) of Section 12 and sub-section (1) of Section 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations to provide a framework for recognition and operation of Global In- House Centres and for matters connected therewith or incidental thereto, namely:-*

CHAPTER I
PRELIMINARY

Short Title and commencement

1. (1) These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Global In-House Centres) Regulations, 2020.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires, the terms defined herein shall bear the meanings assigned to them below, and their cognate expressions shall be construed accordingly: -

- (a) “Act” means the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);
- (b) “Authority” means the International Financial Services Centres Authority established under sub-section (1) of section 4 of the Act;
- (c) “financial services group” shall mean any entity which is regulated by a financial services regulator or any other competent body regulating financial services activities in its home jurisdiction and include its holding, subsidiary or associate companies, branch, or subsidiary of a holding company to which it is also a subsidiary.

Provided that in case of any doubt as to whether the group constitutes a “financial services group” or any entity within the group qualifies as such, an application may be made to the Authority for determination, whose decision shall be final.

- (d) “foreign currency” shall have the same meaning assigned to it in clause (m) of Section 2 of Foreign Exchange Management Act, 1999;
- (e) “Global In-House Centre” means a unit set up in the International Financial Services Centre for providing support services, directly or indirectly, to entities within its financial services group, including but not limited to banks and non-banking financial companies, financial intermediaries, investment banks, insurance companies, re-insurance companies, actuaries, brokerage firms, funds, stock exchanges, clearing houses, depositories, and custodians, for carrying out a financial service in respect of a financial product;
- (f) “INR” means the Indian currency called the Indian Rupee;
- (g) “International Financial Services Centre” shall have the same meaning as assigned to it under clause (g) of sub-section (1) of Section 3 of the Act;
- (h) “regulations” means these regulations; and
- (i) “USD” means United States Dollar.

(2) Words and expressions used and not defined in these regulations, but defined in the Act or Acts mentioned in the First Schedule to the Act or any rules, regulations made thereunder shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts, rules or regulations or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.

CHAPTER II**REGISTRATION OF A GLOBAL IN-HOUSE CENTRE****Eligibility criteria**

3. (1) An applicant desirous of being registered as a Global In-House Centre shall be required to meet the following eligibility criteria:

- (i) It shall exclusively cater to its financial services group wherein the entities served must be located in Financial Action Task Force compliant jurisdictions; and
- (ii) The support services provided to its financial services group should be for the purpose of carrying out a financial service in respect of a financial product;

Application for registration

4. (1) Any eligible entity, which is desirous of registering itself as a Global In-House Centre may submit an application in the form and manner as may be specified by the Authority.

(2) Every application under sub-regulation (1) shall contain such particulars and be accompanied by such documents as may be specified by the Authority.

(3) Every application under sub-regulation (1) for registration as a Global In-House Centre shall be accompanied by such fee as may be specified by the Authority.

Grant of Registration

5. (1) If the Authority is satisfied, after making such enquiry as may be necessary in this behalf and after obtaining such further information as it may require, that the eligibility criteria is met, it may grant registration to the Global In-House Centre subject to such conditions as may be specified.

(2) The Authority shall not reject an application without giving due opportunity to be heard to the applicant, and the reasons for such rejection shall be communicated to the applicant in writing.

CHAPTER III**FUNCTIONING OF A GLOBAL IN-HOUSE CENTRE****Permissible services and activities**

6. (1) A Global In-House Centre, meeting requirements under regulation 3, shall provide services to non-resident entities only.

(2) Relocation of employees from an existing entity in the domestic area in India shall be permissible with respect to supervisory personnel only, which may be allowed with prior approval of the Authority up to a maximum of twenty percent of the strength in such category.

Currency and mode for conducting business

7. (1) A Global In-House Centre shall deal in freely convertible foreign currency only;

Provided that it may defray its administrative expenses in INR by maintaining an INR account as may be specified by the Authority.

(2) A Global In-House Centre may conduct its business in any mode permitted by the Authority, including branch mode.

CHAPTER IV
OPERATIONAL REQUIREMENTS

Reporting requirements

8. (1) A Global In-House Centre shall be required to furnish information relating to its operations to the Authority in such manner and form and at such intervals as may be specified by the Authority.
- (2) A Global In-House Centre shall submit all reports to the Authority in USD, unless otherwise specified.

Maintenance of books of accounts, records and documents

9. A Global In-House Centre shall maintain its books of accounts, records and documents, in such foreign currency as may be declared at the time of making an application under these regulations.

CHAPTER V
MISCELLANEOUS

Power to specify procedures and issue clarifications

10. For the purpose of implementation of these regulations and matters incidental thereto, or in order to facilitate and regulate financial services relating to Global In-House Centre in an International Financial Services Centre, the Authority may specify norms, procedures, processes, manners or provide relaxations, by way of guidelines or circulars.

Action in case of default

11. (1) If a Global In-House Centre fails to fulfil the conditions subject to which the registration under regulation 5 has been granted, the Authority may withdraw the registration, after giving an opportunity of thirty days to the Global In-House Centre to make its submissions, if any.
- (2) Without prejudice to the above, the Authority may take any other action as it deems fit under the Act.

INJETI SRINIVAS, Chairperson
[ADVT.-III/4/Exty./353/2020-21]